



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 147/XXXVI(3)/2010/16(1)/2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010’ पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2010 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | |
|---------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 29 का संशोधन | 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिये जायेंगे। |

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2010' (Adhiniyam Sankhya 22 of 2010) :-

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 March, 2010.

No. 147/XXXVI(3)/2010/16(1)/2010

Dated Dehradun, March 26, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2010

(UTTARAKHAND ACT No. 22 OF 2010)

Further to amend the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the Sixty-first Year of Republic of India as follows:--

- | | |
|------------------------------|--|
| Short title and commencement | 1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2010.
(2) It shall come into force at once. |
| Amendment of Section 29 | 2. In section 29 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003, for the words "two years", the words "three years" shall be substituted. |

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.